

मजदूरों के कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर फर्जी धन गबन करने के मामले में 03 अभियुक्त गिरफ्तार थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- रमेश कुमार वर्मा पुत्र स्व0 राधेश्याम वर्मा निवासी जे0ई0 आर0ई0डी0 विकास खण्ड अधि0 बेलहरकला थाना बेलहरकला 2- राधेश्याम यादव पुत्र भगवान दास यादव निवासी देवलसा थाना बखिरा 3- पुरई यादव पुत्र धनई निवासी पजरा भीरी थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को विकास खण्ड बेलहरकला में मुख्य विकास अधिकारी जनपद सन्तकबीरनगर श्री अतुल कुमार मिश्र के औचक निरीक्षण के दौरान मनरेगा के मजदूरों के फर्जी / कूटरचित हस्ताक्षर करके 92,642 रु0 भुगतान की संस्तुति करने पर एडीओ पंचायत बेलहरकला श्री सभाजीत यादव की तहरीर के आधार पर गिरफ्तार करते हुए मु0अ0सं0 23/21 धारा 419/420/467/468/472 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**समाज में अश्लीलता फैलाने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

प्रभारी एण्टी रोमियों उ0नि0 श्रीमती गौरी शुक्ला द्वारा जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं / बालिकाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ0 कौरस्तुभ के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एण्टी रोमियो चेकिंग के दौरान दुर्गा मन्दिर, मगहर के पास से एक व्यक्ति नाम पता बब्लू उर्फ सूर्यकान्त मौर्य पुत्र राममिलन मौर्य निवासी तिवारी टोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को स्कूल से आने जाने वाली छात्राओं / बालिकाओं व महिलाओं पर अश्लील व अभद्र व्यवहार व फब्तियाँ कसते हुए गिरफ्तार किया गया । उपर्युक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 76/21 धारा 294 भा0द0वि0 बनाम उपरोक्त के पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

**01 वारण्टी गिरफ्तार**

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता विवेकानन्द पुत्र शंकर जायसवाल निवासी जोगीपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार**

● थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 3313 द्वारा गायब बच्चे को खोजकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया** – पीआरवी 3313 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत परतिया से इवेन्ट संख्या 01799 से कालर ने छोटा बच्चा गायब होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से बच्चे को तलाश कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर बच्चे को तलाश कर परिजनों के सुपुर्द किया गया जिससे एक बड़ी घटना के घटित होने से बचाया गया , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** –आ0 मुकुन्द कुमार चौहान, हो0चा0 विनय पाण्डेय ।

## मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 77 वाहनो से 68700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 77 वाहनो से 68700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।